 भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 704

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

**अधिनियमों को पारित करने के पश्चात नियमों और विनियमों को बनाया जाना**

**704. श्री सी.एम.रमेश :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अनेक मंत्रालयों/विभागों ने संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अनुरूप नियम/विनियम नहीं बनाये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी तिथि-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार इस संदर्भ में ऐसे दिशानिर्देश जारी करने का विचार रखती है, जिसमें केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा तीन महीने की समय सीमा के अदंर नियम/विनियम बनाया जाना अनिवार्य हो, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**(ख) :** भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की निर्देशिका के पैरा 11.3.1 के अनुसार कानूनी नियम, विनियम और उप विधियां उस तारीख से जिसको संबंधित कानून प्रवृत्त हुआ, से छः माह की अवधि के भीतर मंत्रालयों/विभागों द्वारा विरचित किए जाने चाहिए । इस समय-सीमा को तीन माह तक कम करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*